"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013 — माघ 3, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र.36/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2011—विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 86(1)(ई) राज्य आयोग को समादेशित करती है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह—उत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रिड से संयोजकता उपलब्ध कराने एवं किसी व्यक्ति को विद्युत करने विक्रय हेतु समुचित उपाय करे और किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में, विद्युत की कुल खपत के किसी प्रतिशत को ऊर्जा के ऐसे स्त्रोतों से क्रय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करे।

राष्ट्रीय विद्युत नीति में ऊर्जा के ऐसे स्त्रोतों के आधार पर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है। टैरिफ नीति में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 86(1)(ई) के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य विद्युत नियामक आयोग उस क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की उपलब्धता और उसके खुदरा दरों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत क्रय हेतु एक न्यूनतम प्रतिशत तय करेंगे।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत शासन द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली हेतु अवधारणात्मक संरचना विकसित की गई है जिससे ऐसे अन्तर्राज्यीय संव्यवहारों में सुगमता होगी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन पर आधारित हैं, एवं दायित्वीकृत संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत क्रय के दायित्व का अनुपालन करने में सहायक होगी एवं यह संरचना सौर एवं गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रावधान भी विनिर्दिष्ट करती है। उपरोक्त तारतम्य में,

विनियामकों के मंच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना के लिए आदर्श विनियमों को राज्य आयोगों के विचारार्थ परिचालित किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, अधिनियम की धारा 86(1)(इ) सहपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, एतद् द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संचरना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विनियम बनाता हैः—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन), विनियम, 2011

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1.1 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2011 कहलायेंगे।

1.2 इन विनियमों का विस्तार, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

1.3 ये विनियम, छत्तीसगढ़ राजपत्र में, इनके मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के तिथि से लागू माने जावेंगे।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(I) **''अधिनियम''** अर्थात समस्त संशोधनों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) है;

(II) **''केप्टिव उपभोक्ता''** का वही अर्थ होगा जो विद्युत नियम, 2005 के नियम 3(2) में परिभाषित किया गया है;

(III) **''केन्द्रीय अभिकरण''** अर्थात वह अभिकरण जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा समय—समय पर अभिहित किया जाए;

(IV) **''केन्द्रीय आयोग''** अर्थात अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

(V) **''प्रमाण पत्र''** अर्थात ऐसा प्रमाण पत्र, जिसे केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विहित पद्धतियों के अनुसार और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अनुसरण में जारी किया गया हो;

(VI) **''आयोग''** अर्थात् अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में यथा संदर्भित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

(VII) ''**मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना**'' अर्थात् ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक से पूर्व की है;

(VIII) ''**न्यूनतम निर्धारित मूल्य (फ्लोर प्राईस)**'' अर्थात् वह न्यनूतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर और जिससे अधिक मूल्य पर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(IX) ''**अधिकतम मूल्य (फोरबियरेंस मूल्य)**'' अर्थात् वह अधिकतम मूल्य जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके भीतर विद्युत विनिमयों में ऐसा प्रमाण पत्र व्यवहृत किया जा सकेगा;

(X) ''**नवीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना**'' अर्थात् ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसके वाणिज्यिक प्रचालन की दिनांक, इन विनियमों के लागू होने की दिनांक या उसके पश्चात् की है;

(XI) ''**विद्युत विनिमय**'' अर्थात् विद्युत के शक्ति विनिमय के रूप में संचालित कोई विनिमय जो केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेश (आदेशों) के अर्थ में किया जाता है;

(XII) ''**दायित्वीकृत एकक (औब्लिगेटेड एन्टिटी)**'' अर्थात् ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता जो केप्टिव विद्युत संयंत्र का स्वामी है, मुक्त उपयोग ग्राहक जिसमें ऐसा मुक्त उपयोग ग्राहक सम्मिलित है जो अंशतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी से और/अथवा अंशतः छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त उपयोग के माध्यम से, विद्युत की आवश्यकता पूर्ति करता है, एवं जिसे इन विनियमों के अधीन विनियम–3 में दर्शायी गई दशाओं में नवीकरणीय क्रय दायित्व को अनिवार्य रूप से पूरा करना है।

(XIII) ''**क्रय की मात्रा**'' अर्थात् इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वीकृत एकक (एककों) द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों से वांछित विद्युत क्रय का वह भाग जो उनके कुल उपभोग के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो। यह मात्रा नवीकरणीय स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन केन्द्रों से प्रत्यक्ष क्रय का कुल योग होगा;

(XIV) ''**नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत**'' अर्थात् नवीकरणीय स्त्रोत, जैसे जल, पवन, सौर, जैविक जिसमें सम्मिलित है बगास, जैविक ईंधन आधारित सह–उत्पादन, नगरीय अथवा म्यूनिसिपल अपशिष्ट और ऐसे अन्य स्त्रोत, जिन्हें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत शासन (एम.एन.आर.ई.) द्वारा मान्यता अथवा अनुमोदन प्रदान किया जाए;

(XV) **"लघु जल संयंत्र"** अर्थात ऐसे जल विद्युत केन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 25 मेगावॉट तक और उससे कम है, जिसमें सम्मिलित हैं लघु तथा सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र;

(XVI) **"राज्य"** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य;

(XVII) **"राज्य अभिकरण"** अर्थात् वह अभिकरण जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को मान्यता देने, पंजीयन हेतु अनुसंशा करने एवं इन विनियमों के अन्तर्गत कृत्यों के निर्वहन हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।

(XVIII) **"वर्ष"** अर्थात् कोई वित्तीय वर्ष।

2.2 इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं है, किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वहीं अर्थ होंगे जैसे अधिनियम में है। ऐसी अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियां, जो इन विनियमों में और अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई है परन्तु, विधान मण्डल द्वारा राज्य के विद्युत उद्योगों पर लागू होने वाली किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जैसा उस अधिनियम में दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त ऐसी अभिव्यक्तियां जिन्हें इन विनियमों अथवा अधिनियम अथवा किसी सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ सामान्यतः वही होगा जैसा विद्युत उद्योग में सामान्यतः प्रचलित है।

3. दायित्वीकृत एकक और संचालन अवधिः

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ–साथ मुक्त उपयोग उपभोक्ताओं एवं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर केप्टिव उपयोगकर्ताओं पर, निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत रहते हुए, विनियम 4.3 के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत प्रयोज्य होगाः–

I. कोई व्यक्ति जो एक मेगावॉट और अधिक (अथवा कोई ऐसी अन्य क्षमता जिसे आयोग के आदेश द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए) की संयोजित क्षमता का केप्टिव उपयोगकर्ता है (नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य विद्युत उत्पादन केन्द्र का केप्टिव उपयोगकर्ता); पर नवीकरणीय क्रय दायित्व के न्यूनतम प्रतिशत को, केप्टिव स्त्रोत के माध्यम से उसके द्वारा उपभोग में ली जा रही विद्युत की सीमा तक, लागू किया जाएगा।

II. कोई व्यक्ति, जिसके पास एक मेगावॉट से कम की संविदा मांग नहीं है और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अलावा किसी अन्य से अधिनियम की धारा 43(2) के अनुसार मुक्त उपयोग (ओपन एक्सेस) के द्वारा या सह स्थापित उत्पादन संयंत्र, से विद्युत खपत करना उस पर केप्टिव खपत की सीमा तक नवीकरणीय क्रय दायित्व का न्यूनतम प्रतिशत लागू होगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पाद स्रोतों से मुक्त उपयोग के माध्यम से क्रय की गई अथवा नवीकरणीय

ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित सह स्थापित विद्युत उत्पादन संयंत्र से क्रय की गई विद्युत को नवीकरणीय क्रय दायित्व में समायोजित किया जाएगा।

III. मुक्त उपयोग का कोई ग्राहक जो अपनी विद्युत आवश्यकताओं के एक भाग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त करता है उस पर भी अपनी खपत के मुक्त उपयोग स्त्रोत के भाग की सीमा तक, नवीकरणीय क्रय दायित्व का न्यूनतम प्रतिशत लागू होगा।

परन्तु, आयोग यदि चाहे तो अपने आदेश से उपरोक्त उप अनुच्छेद (I) और उप अनुच्छेद (II) के अधीन संदर्भित न्यूनतम क्षमता को समय–समय पर पुनरीक्षित कर सकेगा।

इन विनियमों के अधीन तैयार नवीकरणीय क्रय दायित्व संरचना, इन विनियामों के लागू होने के दिनांक से प्रारम्भ होगी और सामान्यतः 31 मार्च, 2013 (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 तक) प्रयोज्य रहेगी। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व, वर्ष 2012–13 से आगे तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई पुनरीक्षण प्रभावशील नहीं किया जाता।

4. दायित्वीकृत एकक हेतु नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा–

4.1 अनुज्ञप्तिधारी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने संबंधित वितरण क्षेत्र में अपनी विद्युत की कुल खपत का एक न्यूनतम प्रतिशत, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत संयंत्रों से क्रय करेगा।

4.2 इसी प्रकार ऐसे केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक जो दायित्वीकृत एकक की परिभाषा में आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी विद्युत की कुल खपत का एक न्यूनतम प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों से क्रय करेगें।

4.3 नवीकरणीय क्रय दायित्व का परिभाषित न्यूनतम प्रतिशत नीचे तालिका 1 में दिया गया है–

तालिका 1: दायित्वीकृत एकक द्वारा कुल खपत के प्रतिशत के रूप में प्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा

वर्ष	सौर	गैर सौर			सकल योग
		बायोमास	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (जल, पवन आदि)	कुल	
2010-11	0.25%	3.75%	1.00%	4.75%	5.00%
2011-12	0.25%	3.75%	1.25%	5.00%	5.25%
2012-13	0.50%	3.75%	1.50%	5.25%	5.75%

परन्तु, सकल क्रय दायित्व के अन्तर्गत रहते हुए ऐसा दायित्वीकृत एकक पर्याप्त कारणों से और आयोग के अनुमोदन से वर्ष 2010–11 में एक अथवा अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय के प्रतिशत में फेर–बदल कर सकेगा और केवल वर्ष 2010–11 के लिए एक स्रोत से क्रय में आयी कमी की पूर्ति दूसरे स्त्रोत से कर

सकेगा। परवर्ती वर्षो में (वर्ष 2010–11 के बाद), ऐसे दायित्वीकृत एकक, एक स्त्रोत से क्रय में ऐसी कमी की पूर्ति, दूसरे स्त्रोत के माध्यम से केवल गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के बीच से ही कर सकेगें।

परन्तु, यह और कि सम्बन्धित दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से पहले ही किए जा रहे, क्रय यदि कोई हों, नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व में समावेशित होंगे।

परन्तु, यह भी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत ऐसे विद्युत के क्रय जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पहले ही निष्पादित किया जा चुका है, उनकी मौजूदा वैधता तक किए जाते रहेंगे, फिर भले ही ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत कुल क्रय, उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रतिशत की अनुबन्धों की सीमा से अधिक हो जाएं।

परन्तु, यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त वांछित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्यों का अनुपालन करने हेतु अपनी दीर्घ अवधि विद्युत पूर्ति योजना के अन्तर्गत, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत प्राप्त करने की योजना का समावेश करेगा।

4.4 ऐसा क्रय आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के आदेशों के अनुसार बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों, लघु जल संयंत्रों अथवा सौर विद्युत संयंत्रों से पहले से ही संविदाकृत क्रय की संगणना उपरोक्त क्रय दायित्व में समायोजित की जावेगी।

4.5 नवीकरणीय स्त्रोतों से क्रय की मात्रा दर्शाते समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन स्त्रोतों को दर्शित करेगा जिनसे क्रय की विनिर्दिष्ट मात्रा नियोजित की गई है। जहाँ तक सम्भव हो सकेगा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने सम्बन्धित प्रदाय क्षेत्र में से ही प्रस्तावित विद्युत की मात्रा स्त्रोतगत् करेगा। तथापि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में ऐसे स्त्रोतों की अनुपलब्धता क्रय दायित्व से छूट दिये जाने के लिए अथवा इन विनियमों के अनुसार वांछित क्रय में कमी करने के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

4.6 प्रत्येक दायित्वीकृत एकक नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति, स्वयं अपने उत्पादन से अथवा नवीकृत ऊर्जा विकासकर्ता से, विद्युत क्रय करके अथवा अन्य अनुज्ञप्तिधारी से क्रय के माध्यम से अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रय करके अथवा उपरोक्त विकल्पों में किसी संयोजन के माध्यम से कर सकेगा।

4.7 नवीन स्त्रोतों से संविदा करते समय प्राथमिकता उत्पादन संयंत्रों के वाणिज्यिक प्रचालन की दिनांक को दी जायेगी।

4.8 ऐसा दायित्वीकृत एकक नवीकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के क्रय हेतु समुचित भुगतान सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेगा।

4.9 आयोग, दायित्वीकृत एकक के नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व को तीन वर्ष उपरान्त पुनरीक्षित करेगा। अनुच्छेद 4.3 के अधीन किया गया क्रय दायित्व तब तक वैध होगा जब तक इसे आयोग द्वारा पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता।

4.10 अनुच्छेद 4.3 के अधीन क्रय दायित्व का अनुपालन न किया जाना इन विनियमों का उल्लंघन समझा जायेगा और अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

5. केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र–

5.1 इन विनियमों में अन्तर्विष्ट निबन्धनों एवं शर्तो के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन) विनियम, 2010 के अधीन जारी प्रमाण पत्र, इन विनियमों में उल्लेखित अनिवार्य दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्वीकृत एकक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के क्रय हेतु वैध दस्तावेज़ (इन्स्ट्रुमेंट) होंगे।

परन्तु, वर्ष 2010–11 को छोड़कर नियन्त्रण अवधि के दौरान, दायित्वीकृत एकक द्वारा प्रमाण पत्रों के क्रय के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय दायित्व को पूरा करने की दशा में, गैर सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा क्रय करने का दायित्व, गैर सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा और सौर आधारित नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का दायित्व सौर प्रमाण पत्रों के क्रय से पूरा किया जा सकेगा।

5.2 आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए, दायित्वीकृत एकक, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की मान्यता एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निबन्धन व शर्तें), विनियम, 2010 जिन्हें इन विनियमों के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व की पूर्ति के लिए प्रमाण पत्र क्रय हेतु प्राप्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुरूप कार्य करेगा।

5.3 दायित्वीकृत एकक द्वारा इन विनियमों के अनुच्छेद 5.1 और 5.2 के सन्दर्भों में केन्द्रीय आयोग द्वारा उल्लिखित विद्युत विनिमय से क्रय किये गये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति (किसी सनदी लेखापाल से विहित रूप में सत्यापित) आयोग को दायित्वीकृत एककों द्वारा क्रय करने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेंगी।

6. राज्य अभिकरण

6.1 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की मान्यता और पंजीयन की सिफारिश करने के लिए आयोग द्वारा अभिहित राज्य अभिकरण इन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित कृत्य करेगा।

6.2 राज्य अभिकरण आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में संचालित होगा और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टर्म्स एंड कंडीशन्स फार रिक्गनीशन एंड इश्यूरंस आफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट फार रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन), विनियम, 2010 के अनुरूप कार्य करेगा।

6.3 राज्य अभिकरण, विभिन्न स्त्रोतों, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम्पनियों, दायित्वीकृत एककों, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), मुख्य विद्युत निरीक्षक आदि से नियमित रूप से जानकारी संग्रह करने हेतु सम्यक् तौर तरीके (प्रोटोकॉल) विकसित करेगा और ऐसी जानकारी को दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के लक्ष्य अनुपालन की निगरानी हेतु संकलित एवं संयोजित करेगा।

6.4 विभिन्न दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन का संक्षिप्त विवरण राज्य अभिकरण द्वारा समेकित आधार पर त्रैमासिक रूप से अगले माह की पन्द्रहवीं तिथि तक अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

6.5 राज्य अभिकरण, दायित्वीकृत एककों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्रय एवं दायित्व के अनुपालन के सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अगले माह की पन्द्रहवी तिथि तक आयोग को त्रैमासिक स्थिति प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यक प्रतीत हो तो नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के लिए समुचित कार्यवाही का सुझाव आयोग को दे सकेगा।

6.6 यदि आवश्यक हो तो आयोग समय–समय पर इन विनियमों के अन्तर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य अभिकरण को देय पारिश्रमिक और शुल्कों को, आदेश द्वारा निर्धारित कर सकेगा।

6.7 यदि आयोग यह देखता है कि राज्य अभिकरण अपने कार्यो का सन्तोषजनक रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो वह सामान्य अथवा विशेष आदेश से, और कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अन्य अभिकरण को जिसे वह उचित समझे, राज्य अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अभिहित कर सकेगा।

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारीः–

7.1 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथा, पर्याप्त प्रमाण सहित आगामी वर्ष के लिए उसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से क्रय की जानी वाली विद्युत की मात्रा का उल्लेख, आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में प्रस्तुत की जाने वाली विद्युत दर याचिका/वार्षिक कार्य निष्पादन पुनरीक्षण प्रतिवेदन में करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की अनुमानित मात्रा, इन विनियमों में अनुच्छेद 4.3 के अनुसरण में आने वाले वर्ष हेतु अनुमोदित किये गये विद्युत क्रय की मात्रा के अनुसार होगी। उस दशा में जहाँ, अनुज्ञप्त क्षेत्र में वास्तविक खपत, आयेाग द्वारा अनुमोदित मात्रा से भिन्न हो, वहाँ मिलियन यूनिट में नवीकरणीय क्रय दायित्व को इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दिये गये प्रतिशत के हिसाब से परिवर्तित किया गया समझा जाएगा। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो विनिर्दिष्ट मात्रा में हुई ऐसी कोई कमी अगले वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट मात्रा में जोड़ ली जाएगी।

7.2 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से न्यूनतम क्रय की मात्रा को पूरा करने में विफल रहता है तो वह इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार कार्यवाही का भागी होगा।

8. केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक

8.1 इन विनियमों के अनुच्छेद 4.3 में दर्शित नवीकरणीय क्रय दायित्व की मात्रा केप्टिव उपयोगकर्ताओं और मुक्त उपयोग ग्राहकों पर राजपत्र में अधिसूचित की गई दिनांक से प्रयोज्य होगा। केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से, उपरोक्त अनुच्छेद 4 में दर्शाए अनुसार कर सकेंगे।

8.2 प्रत्येक केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक को विद्युत की कुल खपत और नवीकरणीय क्रय दायित्व की पूर्ति हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत क्रय के बारे में आवश्यक विवरण त्रैमासिक आधार पर राज्य अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

8.3 यदि केप्टिव उपयोगकर्ता और मुक्त उपयोग ग्राहक इस मापदण्ड को पूरा करने में असफल रहते हैं तो लक्षित मात्रा में हुई कमी, इन विनियमों के अनुच्छेद 9 के अनुसार क्षतिपूर्ति को आकर्षित करेगी (देय होगी)।

9. चूक के परिणाम

9.1 यदि किसी वर्ष के दौरान दायित्वीकृत एकक, इन विनियमों के यथा उपबन्धित नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा नहीं करता है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का क्रय भी नहीं करता है तो आयोग दायित्वीकृत एकक को निर्देशित कर सकेगा कि वह उतनी राशि के पृथक कोष को संधारित करें, जैसा कि आयोग द्वारा, नवीकरणीय क्रय दायित्व और केन्द्रीय आयोग द्वारा निश्चित अधिकतम मूल्य (फोरबियरेस प्राईस) मूल्य के आधार पर अवधारित किया जाए।

परन्तु, यह कि इस प्रकार निर्मित कोष का उपयोग आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा;

परन्तु, यह कि उपरोक्त के अनुपालन में निर्मित कोष का उपयोग करने के लिए, बिना आयेाग के पूर्वानुमोदन के, दायित्वीकृत एकक अधिकृत नहीं होंगे;

परन्तु, यह और कि आयोग, राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को विद्युत विनिमय से, दायित्व में कमी की सीमा तक, वांछित संख्या में प्रमाण पत्रों को इस कोष की राशि से क्रय करने हेतु, अधिकृत कर सकेगा।

परन्तु, यह भी कि दायित्वीकृत एकक अपना नवीकरणीय क्रय दायित्व भंग करता हुआ माना जाएगा, यदि वह आयेाग द्वारा निर्देशित राशि को, ऐसे निर्देश संसूचित करने के विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा कराने में असफल रहे।

परन्तु, यह कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की अनुपलब्धता या नवकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को पूर्ण करने

में होने वाली वास्तविक कठिनाई की स्थिति में दायित्वीकृत एकक, अनुपालन आवश्यकता को मात्र अगले वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध कर सकेगा।

आगे यह भी कि जहाँ आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को आगे बढ़ाने की सहमति प्रदान कर दी है, वहाँ ऐसे कोष को निर्मित करने के सम्बन्ध में उपरनिर्दिष्ट कोष को निर्मित करने का प्रावधान प्रयोज्य नहीं होगा।

10. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता

10.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरनिर्दिष्ट में से किसी भी तरह (मॉडिलिटी) से राज्य के भीतर गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों या सौर विद्युत संयंत्रों से, नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय उस वर्ष के दौरान अधिकतम रहा है, – उसे अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य के भीतर कार्यरत् समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की नवीकरणीय ऊर्जा खपत समान रखी जा सके।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के उद्देश्य् से, क्षतिपूर्ति का अर्थ है–नवीकरणीय विद्युत क्रय के औसत मूल्य और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के गैर–नवीकरणीय विद्युत–क्रय के औसत मूल्य के अन्तर की भागीदारी, जिसकी विचाराधीन वर्ष के लिए निम्नलिखित उदाहरणानुसार परिगणना करके क्षतिपूर्ति दी जानी है। उदाहरणार्थ– नवीकरणीय क्रय दायित्व के लिए विचाराधीन वर्ष 2010–11 लिया गया है–

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	वित्तीय वर्ष 10–11 के लिए वार्षिक विद्युत खपत (मिलियन यूनिट में)	वर्ष 10–11 हेतु सौर और गैर सौर को सम्मिलित करते हुए पूर्ति करने हेतु प्रयोज्य नवीकरणीय क्रय दायित्व (मिलियन यूनिट में)	वर्ष 10–11 के दौरान वास्तविक रूप से क्रय की गई नवीकरणीय विद्युत (मिलियन यूनिट में)	वर्ष 11–12 के दौरान, वर्ष 10–11 के लिए वास्तव में पूर्ति किया गया नवीकरणीय क्रय दायित्व (मिलियन यूनिट में)	वित्तीय वर्ष 11–12 के अंत में, वर्ष 10–11 के लिए वास्तव में क्रय किये गये कुल नवीकरणीय क्रय दायित्व	वर्ष 11–12 के अंत तक वर्ष 10–11 के लिए पूर्ति किया गया नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत (%)	समतुल्य मिलियन यूनिट–अंतर मूल्य संगणना हेतु	वास्तविक नवीकरणीय क्रय दायित्व को विचार में लेते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के वास्तविक क्रय में रह गई कमी (मिलियन यूनिट में)
	A	B=A*5%	C	D	E=C+D	F=E/A	G=A*%(EE/EE)	H=G-E
अनु– A	15000	750	600	5	605.0	4.0%	585.5	-19.5
अनु– B	700	35	4	7	11.0	1.6%	27.3	16.3
अनु– C	210	10.5	2	3	5.0	2.4%	8.2	3.2
कुल	**15910**	**795.5**	**606**	**15**	**621.0**	**3.9%**	**62%**	

वर्ष 2010–11 के लिए तीन अनुज्ञप्तिधारियों की वार्षिक विद्युत खपत 15910 मिलियन यूनिट है (A,B और C तीनों अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कुल) और वर्ष 2010–11 के लिए तीनों ही अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रय की गई वास्तविक नवीकरणीय विद्युत है–621 मिलियन यूनिट, अर्थात् सभी अनुज्ञप्तिधारियों ने कुल मिलाकर राज्य के नवीकरणीय क्रय दायित्व का 3.9% पूरा किया है जबकि 2010–11 के लिए क्रय दायित्व 5% है। अनुज्ञप्तिधारियों ए,बी एवं सी द्वारा अन्ततः 2010–11 में नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के सभी तरीकों से क्रमशः 4% 1.6% एवं 2. 4% दायित्व पूर्ण किया गया जो कि लक्ष्य से काफी कम है।

यद्यपि, वर्ष 2010–11 के लिए कोई भी अनुज्ञप्तिधारी नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा नहीं कर सका, तथापि यह उचित होगा कि अनुज्ञप्तिधारी–A, जिसके द्वारा औसत से अधिक नवीकरणीय क्रय दायित्व पूर्ण किया गया है, को ऐसे अन्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अन्तरात्मक मूल्य का भुगतान किया जाए, जिन्होंने उस वर्ष के दौरान औसत (3.9%) से कम की पूर्ति की है। इस प्रकार भागीदारी दायित्व अनुज्ञप्तिधारी–A के लिए (–) 19.5 अनुज्ञप्तिधारी–B के लिए 16.3 और अनुज्ञप्तिधारी–C के लिए 3.2 बैठता है। अनुज्ञप्तिधारी–B द्वारा अनुज्ञप्तिधारी–A को 16.3 मिलियन यूनिट का अनुज्ञप्तिधारक ए द्वारा वर्ष 2010–11 में नवीकरणीय ऊर्जा स्प्रोतों से क्रय के औसत मूल्य एवं गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्प्रोतों से क्रय की औसत दर के अन्तर मूल्य पर भुगतान किया जावेगा। इसी प्रकार, वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञप्तिधारी–C द्वारा अनुज्ञप्तिधारी–A को 3.2 मिलियन यूनिट का नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के औसत मूल्य और गैर–नवीकरणीय विद्युत क्रय के औसत मूल्य के अन्तरात्मक दर से, भुगतान किया जाएगा।

आगे, यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी–A की वर्ष 2010–11 हेतु नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के लिए औसत–लागत रूपये 5.40 प्रति यूनिट है और गैर–नवीकरणीय औसत क्रय मूल्य रूपये 3.9 प्रति यूनिट है तो अन्तर्रात्मक लागत होगी रूपये 1.50 प्रति यूनिट (5.40–3.90) अनुज्ञप्तिधारी–B द्वारा अनुज्ञप्तिधारी–A को रूपये 244.83 लाख (16.3 मेगावॉट x 1.5 रू./किवा) का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार अनुज्ञप्तिधारी–C, अनुज्ञप्तिधारी–A को रूपये 47.95 लाख (3.2 मेवा x 1.5 रू. /किवा) का भुगतान करेगा। ऐसे प्रकरण में जहॉ नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की औसत लागत गैर–नवीकरणीय ऊर्जा क्रय की औसत लागत से कम है, तो अनुज्ञप्तिधारी–C और अनुज्ञप्तिधारी–B द्वारा अनुज्ञप्तिधारी–A को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

उपरोक्त भुगतान आयोग के निर्देशानुसार किये जायेंगे और सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु विचार में लिये जायेंगे।

11. ग्रिड संयोजकता के लिए प्राथमिकता

11.1 कोई व्यक्ति, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्प्रोतों से विद्युत का उत्पादन करता है, फिर भले ही स्थापित क्षमता कुछ भी हो, उसे मुक्त उपयोग, ग्रिड या वितरण प्रणाली से संयोजकता, जैसी कि प्रकरण हो, के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नवीकरणीय विद्युत परियोजना प्रारम्भ होने से पहले ही, यथासंभव, समुचित अन्तर्संयोजन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसे अन्तर्संयोजन हेतु भारतीय मानक ग्रिड संहिता, राज्य ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट संयोजकता–मानदण्डों और/अथवा केन्द्रीय विद्युत अधिकरण द्वारा विहित तौर–तरीकों का पालन किया जाएगा।

12. नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा मूल्य तय करना

12.1 समस्त नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं, जो उपरोक्त अनुसार नियन्त्रण अवधि में प्रारम्भ हुई हों, के पास यह विकल्प रहेगा कि वे या तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

नियामक आयोग (अपारम्परिक स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की दर और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तो और निबंधनों का निर्धारण), विनियम 2008 और इसके समय–समय पर हुए संशोधनों/पुनरीक्षण का अनुपालन करें अथवा/और परियोजना से उत्पादित विद्युत के मूल्य निर्धारण की आर.ई.सी. प्रणाली को अपनाएं।

परन्तु, ऐसे समझौते की समाप्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबन्ध के समापन की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र स्कीम में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जबकि ऐसा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसने पहले ही प्रिफरेंसियल दर पर विद्युत विक्रय हेतु विद्युत क्रय अनुबन्ध कर लिया है, वह समझौते के अपरिपक्व समाप्ति की दशा में किसी सक्षम आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कथित विद्युत क्रय अनुबन्ध में दर्शित शर्तों और निबंधनों के सारवान उल्लंघन के लिए उत्पादन कम्पनी के विरूद्ध कोई आदेश या व्यवस्था पारित कर दी गई हो।

परन्तु, ऐसी परियोजनाएं, जो या तो प्रिफरेंसियल टेरिफ अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली अथवा दोनों के मिश्रण से कोई विकल्प चयन करनी हैं, उन्हें सम्पूर्ण विद्युत दर अवधि अथवा विद्युत क्रय अनुबंध की वैधता, जो भी बाद में हो, जैसा कि समय–समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग(अपारम्परिक स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत का उत्पादन शुल्क और सम्बन्धित विषयों के लिए शर्तों और दशाओं का निर्धारण) विनयम, 2008 में दर्शाया गया है, तक चयनित मूल्यांकन प्रणाली को जारी रखना होगा।

परन्तु, यह और कि ऐसी नवीन नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मुक्त उपयोग ग्राहक, जैसा कि प्रकरण हो, से विद्युत क्रय अनुबन्ध के निष्पादन से पूर्व ही, चयन के विकल्प का प्रयोग करेंगी।

12.2 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र प्रणाली दो घटकों के मूल्यनियतन पर निर्भर है–नामतः, विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा घटक या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र घटक जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13 की संचालन अवधि में प्रभावी विद्युत घटक की दर वह होगी जो कि उस वितरण अनुज्ञप्तिधारक, जिसके कि क्षेत्राधिकार में ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है, की पूर्ववर्ती वर्षों में गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की गई औसत लागत क्रय दर होगी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का मूल्य वह होगा जैसा कि विद्युत विनियम के दौरान पाया जाता है।

स्पष्टीकरणः– इस विनियम के उद्देश्य से ''विद्युत क्रय का औसत साझा मूल्य'' का अर्थ है– वह मूल्य जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पूववर्ती वर्ष में स्वयं के उत्पादन की लागत सहित सभी दीर्घावधि एवं लघु अवधि स्रोतों से विद्युत क्रय की हो परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय विद्युत सम्मिलित नहीं होगी।

परन्तु, यह कि केन्द्रीय आयोग, समय–समय पर केन्द्रीय अभिकरण और विनियामकों के फोरम के परामर्श से न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य– सौर और गैर–सौर

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (नवीकरणीय ऊर्जा घटक) के लिए पृथक–पृथक, उपलब्ध करा सकेगा;

परन्तु, यह भी कि विद्युत क्षेत्र के अग्रेतर विकास के साथ–साथ विद्युत घटक और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की मूल्य नियतन प्रणालियॉ, समुचित आयोग द्वारा विचारित अन्तरालों, पर पुनरीक्षित की जाएंगी।

12.3 मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दर, दर संरचना और अन्य शर्तें, आयोग द्वारा सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा दर आदेशों के अन्तर्गत पहले ही समाहित की जा चुकी है और इन्हें वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की नियन्त्रण अवधि के दौरान समय–समय पर यथा संशोधित रूप में जारी रखा जाएगा।

12.4 ऐसे उपभोक्ता, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से मुक्त उपयोग पद्धति से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त उपयोग विनियमों की शर्तो के अनुसार क्रॉस–सबसीडी प्रभार का भुगतान करना आवश्यक होगा। तथापि, मुक्त उपयोग के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रदाय (तृतीय पक्ष विक्रय) पर कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

आयोग, या तो स्वतः या किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, इन विनियमों को पुनरीक्षित कर सकेगा और इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावशील करने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

14. संशोधन की शक्ति

आयोग समय–समय पर इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों को बढ़ा, घटा, परिवर्तित, रूपान्तरित या संशोधित कर सकेगा और समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

15. व्यावृत्ति

इन विनियमों के जारी होने के पश्चात् पूर्ववर्ती विनियमों, नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत क्रय) विनियम, 2008 स्वतः निरसित समझे जाएंगें। तथापि, सन् 2008 के पूर्ववर्ती विनियमों के अनुसार पहले ही निष्पादित किये जा चुके विद्युत अनुबन्ध, आगे इन्हीं विनियमों से शासित होंगे।

टीपः– इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन.सिंह)
सचिव